न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 71/2010 प्रा0पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970

सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. पप्पू पुत्र रामदयाल
2. मोहन पुत्र रामदयाल (फोत)
   2.1 बीना पत्नि मोहन
   2.2 गुद्दा पुत्र मोहन
   2.3 काजल पुत्री मोहन

   समस्त जाति धानका निवासी रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील सैंथल जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू—आवण्टन नियम—1970

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपस्थित—1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय   दिनांकः 18.06.2024

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 23.06.1989 को ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल के आ0ख0नं0 941 रकबा 0.16है., खसरा नंबर 766/1343 रकबा 0.09है., खसरा नंबर 942 रकबा 0.11 है. कुल किता 3 रकबा 0.36है. भूमि का आवंटन अप्रार्थी पप्पू, मोहन पि. रामदयाल धानका निवासी रामपुरा उर्फ महाराजपुरा को कर दिया गया। अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू—आवण्टन नियम—1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
2. प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।
3. राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति मु0 बोरोदा द्वारा अप्रार्थीगण पप्पू, मोहन पि. रामदयाल धानका निवासी रामपुरा उर्फ महाराजपुरा को दिनांक 23.6.1989 को ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल के आ0ख0नं0 941 [illegible] 766/1343 रकबा 0.09है., खसरा नंबर 942 रकबा 0.11 है. कुल किता 3 रकबा 0.[illegible]है. [illegible] का आवंटन किया गया। भूमि आवंटन होने पर नामान्तरण सं0 42 दिनांक 18.[illegible]1990 को [illegible] दर्ज हुई। किंतु आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया [illegible] अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा के खसरा नंबर 941 [illegible] 942 में होकर ग्राम [illegible] रामपुरा बोरोदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:25:51 IST
Reason: Self Attested

Devendr
जिला कलक्टर, दौसा

.....निरन्तर 2 पर

(बासडी) को ग्रेवल सडक निकल चुकी है तथा खसरा नंबर 766/1343 पर बद्री पुत्र ग्यारसा मीना का कब्जा चला आ रहा है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटी को किया गया प्रश्नगत आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

4. अप्रार्थीगण अप्रार्थी के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से सिद्ध होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप बोरोदा द्वारा अप्रार्थीगण पप्पू, मोहन पि. रामदयाल धानका निवासी रामपुरा उर्फ महाराजपुरा को दिनांक 23.6.1989 को ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल के आ0ख0नं0 941 रकबा 0.16है., खसरा नंबर 766/1343 रकबा 0.09है., खसरा नंबर 942 रकबा 0.11 है. कुल किता 3 रकबा 0.36है. भूमि आवंटित की गई थी। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। साथ ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट में आवंटित भूमि खसरा नंबर 941 व 942 में होकर ग्राम झेरा से रामपुरा बोरोदा (बासडी) को ग्रेवल सडक निकल चुकी है तथा खसरा नंबर 766/1343 पर बद्री पुत्र ग्यारसा मीना का कब्जा होना अंकित किया है। प्रार्थी द्वारा भूमि पर काश्त नहीं की जाकर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 23.06.1989 को अप्रार्थीगण पप्पू, मोहन पि. रामदयाल धानका को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना नही करने से उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

6- उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 23.6.1989 के द्वारा ग्राम रामपुरा उर्फ महाराजपुरा में अप्रार्थी पप्पू, मोहन पि. रामदयाल धानका के पक्ष में किया गया भूमि का आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 18 जून 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.08 14:25:51 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Devendra

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा